वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नाताप्रथा– मीणा समाज के सन्दर्भ में

सपना मीणा

शोधार्थी, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर

सारांश

यह अध्ययन नाताप्रथा के विषय में किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य नाताप्रथा की पूर्व एवं वर्तमान की स्थिति का अवलोकन करना है। इस हेतु राजस्थान की पांच जिलों भरतपुर, सवाईमाधोपुर , जयपुर, दौसा एवं अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों को चुना गया है। यह वर्णात्मक अथवा विवरणात्मक अनुसंधान पद्धति के माध्यम से नाताप्रथा से जुडी सामाजिक घटनाओं के वर्णन पर आधारित है,जिसमें तथ्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया। इस अध्ययन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति का उपयोग कर,२४० नाताप्रथा से प्रभावित महिलाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया गया । जिसमें ८० महिलाओं ने विधवा होने के पश्चात् नाताप्रथा के माध्यम से परिवार में स्थान पाया । ८० परित्यक्ता स्त्रियाँ थी जिनका कानूनी रूप से विवाह विच्छेद हुआ अथवा सामाजिक रूप से छोड़ दिया गया और बाकी की ८० प्रभावित महिलाएं ऐसी ली गयी जो कि पहली पत्नी होते हुए भी दूसरी पत्नी के रूप में नाताप्रथा के माध्यम से परिवार की सदस्य बनी हुई थी ।

संकेत शब्द : *नाताप्रथा, निदर्शन, अवलोकन, पद्धति, विवाह–विच्छेद ।*

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

सपना मीणा, "वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नाताप्रथा– मीणा समाज के सन्दर्भ में",
शोध मंथन जुन 2017,
पेज सं0 144–148
http://anubooks.com/?page_id=2030
Artcile No.23(SM430)

प्रस्तावना

भारत एक विशाल देश है जिसकी भौगोलिक स्थिति में भरी विविधता और अनेकता दिखाई देती है। यह कहीं गर्म है, कहीं ठंडा, तो कहीं शीतोष्ण कहीं जंगल है तो कहीं रेत और कहीं हरे भरे प्रदेश इससे भारतीय संस्कृति को खेतों, खलियानों, बस्तियों, जंगलों और रेगिस्तानों में खुलकर खेलने का अवसर मिला है। इन्हीं के बीच रहकर हमारी संस्कृति की बाह्य एवं आंतरिक रूप का निर्माण हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विश्व की सर्वाधिक जनजातियाँ निवास करती हैं । आदिवासी जनजातियाँ देश के विभिन्न अचलों में अति पिछड़ी दशा में जीवन यापन करती है। इन्हें आदिवासी, वनवासी, वन्य जाति आदि नामों से पुकारा जाता है। जनगणना विभाग ने इन्हें अनुसूचित जनजातियों के नाम से संबोधित किया है। इन जनजातियों में विभिन्न प्रथायें प्रचलित होती हैं, इन्हीं प्रथाओं में से एक हैं "नाताप्रथा" जिसे शोध हेतू विषय के रूप में लिया गया है।

नाताप्रथा

पूरी दुनिया को आकर्षित करने वाला राजस्थान अपने साये में कई रोचक तथ्य छुपाये हुए है। यहाँ कदम कदम पर कई अनोखी प्रथाओं का प्रचलन आम तौर पर देखा जा सकता है। इन्हीं प्रथाओं में से एक हैं – नाताप्रथा इस प्रथा में लड़का व लड़की पंचायत की मंजूरी मिलने के बाद शादीशुदा युगल की तरह रह सकते है। सदियों से नाताप्रथा राजस्थान की पुरानी प्रथाओं में से एक हैं। राजस्थान में आज भी कायम यह पुरानी परंपरा आधुनिक समाज के "लिव इन रिलेशनशिप" से काफी मिलती–जुलती है। इस प्रथा के अनुसार कोई भी विवाहित पुरुष या महिला किसी अन्य पुरुष या महिला के साथ अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं तो पूर्व साथी से तलाक लेकर एक निश्चित राशि अदा कर साथ रह सकते हैं। "नाताप्रथा" एक पारम्परिक रिवाज है जिसके अंतर्गत एक पुरुश अपनी वर्तमान षादी को तोड़कर किसी भी अन्य महिला को एक निश्चित राशि अदा करके साथ ला सकता है । दूसरे शब्दों में कहा जाये तो उसे खरीदा जाता है । यह राशि कुछ हजार से लेकर लाख भी हो सकती है। इस प्रकार महिला एवं पुरुष दोनों ही अपने पूर्व साथी को कुछ राशि अदा करके अपना साथी बदल सकते है, विवाह की इस परंपरा को "नाताप्रथा" कहा जाता है।

मीणा समाज में नाताप्रथा

मीणा का अर्थ है – मत्स्य या मछली। पौराणिक मान्यताओ के आधार पर मीणा जनजाति का सम्बन्ध भगवान मत्स्यावतार से है, मीणाओं को अनुसूचित जनजाति में रखा गया हैं। ये हिन्दू होते हैं और राजस्थान की मुख्य जनजातियों में से है । जनजाति समाज में ऐसी अनेक प्राचीन प्रथायें प्रचलित हैं जो किसी न किसी तरह से मानव समाज के लिए परिवर्तनकारी है। नाता प्रथा ऐसी ही एक प्रथा है। नाताप्रथा का चलन ग्रामीण राजस्थान की कुछ जनजातियों में बहुत समय से चला आ रहा हैं, मुख्यतः मीणा जनजाति में। बाल विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं एवं पुरुषों को पुनर्वासित करने के लिए इस प्रथा का चलन प्रारम्भ हुआ। जहाँ पहले प्राचीन समाज में विधवा विवाह मान्य नहीं होते थे, वहाँ इस प्रथा के द्वारा महिलाओं

को नया जीवन षुरू करने का अवसर मिलने लगा ।

उद्देश्य

नाता प्रथा से सम्बंधित अब तक विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। इसी कड़ी में नाताप्रथा के पूर्व एवं वर्तमान की स्थिति को जानने हेतु यह शोध किया गया। जिसके निम्न उद्देश्य रखे गए – नाताप्रथा के पीछे छिपे कारणों का पता लगाना, नाता सम्बन्ध के चुनाव में निर्धारक तत्वों की जानकारी प्राप्त करना, प्रभावित स्त्री की प्रस्थिति और स्थिति पता लगाना, प्रभावित स्त्री के बच्चों की समस्याओं का अध्ययन करना, प्रभावित स्त्री के पूर्व पति एवं होने वाले पति की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करना,स्त्री की नाता के पश्चात् सामाजिक प्रतिष्ठा के बारें में जानना, स्त्री की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के बारें में जानना ।

तथ्य एवं पद्धतियाँ

प्रस्तुत शोधपत्र सत्य, प्रमाणिक तथा यथार्थ सामग्री एकत्रित करके उनके क्रमबद्ध, तार्किक एवं व्यवस्थित विवरण के रूप में सम्पूर्ण किया गया है। यह वर्णात्मक अथवा विवरणात्मक अनुसंधान पति के माध्यम से नाताप्रथा से जुडी सामाजिक घटनाओं के वर्णन पर आधारित है, जिसमें तथ्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया। अवलोकन, अनुसूची, साक्षात्कार तथा वैयक्तिक अध्ययन पति के माध्यम से प्रभावित स्त्रियों का गहन अध्ययन संभव हुआ इस अध्ययन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पति का उपयोग कर,२४० नाताप्रथा से प्रभावित महिलाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया गया। जिसमें ८० महिलाओं ने विधवा होने के पश्चात् नाताप्रथा के माध्यम से परिवार में स्थान पाया। ८० परित्यक्ता स्त्रियाँ थी जिनका कानूनी रूप से विवाह विच्छेद हुआ अथवा सामाजिक रूप से छोड़ दिया गया और बाकी की ८० प्रभावित महिलाएं ऐसी ली गयी जो कि पहली पत्नी होते हुए भी दूसरी पत्नी के रूप में नाताप्रथा के माध्यम से परिवार की सदस्य बनी हुई थी। प्रस्तुत शोध हेतु क्षेत्र पूर्वी राजस्थान के पाँच जिलें दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर,अलवर एवं जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों का चयन किया गया है ।

प्रस्तुत शोधपत्र में नाताप्रथा के तत्कालीन आवश्यकता को उजागर करने के साथ–साथ प्रभावित स्त्री एवं संतानों का अध्ययन भी किया गया है जो उनकी पूर्व एवं वर्तमान की स्थिति में आने वाले परिवर्तन और समस्याओं को समाज के सामने लाने में सहायक होगा ।

नाता प्रथा की पूर्व एवं वर्तमान स्थितयाँ

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि महिला एवं पुरुष दोनों ही अपने पूर्व साथी को कुछ राशि अदा करके अपना साथी बदल सकते है, विवाह की इस परंपरा को "नाताप्रथा" कहा जाता है। राजस्थान की जनजातियों में सामान्यतः नाता से होने वाले विवाह के अंतर्गत दो प्रकार की रस्में पूरी की जाती है–

1) पत्नी के सिर पर से पानी से भरा हुआ मटका पति को उतारना पड़ता है ।

2) पत्नी को पति के द्वारा चूडा पहनाया जाता है।

दूसरे प्रकार की रस्म मुख्यतया मीणाओं में होती है। अध्ययन हेतू मीणा जनजाति में

नाताप्रथा को आधार बनाते हुए इस प्रथा को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। राजस्थान की कुछ अन्य जातियों में भी पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। इसे "नाता करना" कहते है। इसमें कोई औपचारिक रीति रिवाज नहीं करना पड़ता। केवल आपसी सहमति ही होती है। विधवा औरतें भी नाता कर सकती हैं। नाता प्रथा में जनजाति समाज की लड़की किसी लड़के के साथ उसकी पत्नी बनने की नीयत से चली जाती है। यदि वह लड़की अविवाहित है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है परन्तु यदि वह लड़की विवाहित है तो यह उसके पति के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। कई बार तो विवाहित महिला अपने पति के साथ साथ अपने बच्चों को भी छोड़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों की देखभाल और उनका पालन–पोषण प्रभावित होता है। पुरुष दूसरा विवाह तो कर लेता है परन्तु यह जरुरी नहीं कि वह महिला बच्चों को माँ जैसा प्यार दे। महिलाएँ कई बार बच्चों से सौतेला व्यवहार भी करती है। पति के लिए भी अपनी पहली पत्नी को भूलकर नये सिरे से शुरुआत करना मुश्किल होता है। इस प्रकार नाता प्रथा में एक पुरुष और उसके बच्चें दोनों ही अपने सामान्य अधिकार खो देते है। यद्धपि प्रत्येक मनुष्य को अपने पसंद के जीवनसाथी के साथ जीवन निर्वाह का अधिकार है परन्तु उसके अधिकारों के साथ उसके कुछ कर्तव्य भी है । मनुष्य अपने अधिकारों को पाने के फेर में अपने कर्तव्यों को भूल जाता है । परिणामस्वरूप वह किसी न किसी मनुष्य के अधिकारों का हनन करता है। जनजाति समाज में यह प्रथा बहुत समय से चली आ रही है। ऐसे कई पुरुश व बच्चें हैं जो नाता प्रथा के कारण समाज में मुश्किलों भरा जीवन जीने को मजबूर है।

कभी–कभी नाता प्रथा के पीछे महिला के सामाजिक रूप से जीने के अधिकार को सुरक्षित करने का तर्क दिया जाता है। जबकि इसका दूसरा पक्ष ये है कि प्रथा के चलते कई बार महिला की गरिमा को भी ठेस पहुचती है। मेवाड़ के जिन समाजों में नाताप्रथा का चलन जोर षोर से होता है। उनमें ये प्रथा महिला से जुड़े कई मुद्दों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है । कई बार ये स्थिति होती है कि इस प्रथा में एक महिला का चार से पांच बार तक भी नाता विवाह हो जाता है। ऐसा भी होता है कि तीन चार विवाह करने के बाद भी जीवनसाथी उपयुक्त नहीं मिलने के कारण महिला को माता–पिता के पास या अकेले जीवन बिताना पड़ता है,ऐसे में उस महिला को समाज में सही नजर से नही देखा जाता है। इससे यें महिलाएं हीन भावना का शिकार भी हो जाती है। शोध से यह भी निकल कर आया कि नाता प्रथा के चलते कई पुरुषों से विवाह करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। अलग अलग पुरुषों के संपर्क में आने से महिलाओं के लाइलाज बीमारियों का शिकार होने का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा जिन बालिकाओं का बाल विवाह हो जाता है,उन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। यह तो स्वतः स्पष्ट है कि नाताप्रथा के चलते कुछ समाजो में पुरुष पहली पत्नी के रहते हुए ही दूसरी पत्नी ले आते हैं इसके कई कारण होते हैं जैसे संतान नहीं होने पर अथवा लड़का नहीं होने पर पति पहली पत्नी की सहमति से एक और पत्नी ले आता हैं ऐसे मामलों में नाता विवाह को लेकर कोई विवाद नहीं होता। ऐसे कई परिवार देखे गए हैं,जहाँ एक व्यक्ति दो पत्नियों के साथ रह सकता है। उत्तरदाताओ से बात करने पर ज्ञात हुआ कि समाज में प्रचलित नाता प्रथा

से महिला के आत्म सम्मान को ठेस पहुचती है। इससे महिला को दोयम दर्जे की समझने की मानसिकता भी झलकती है। बार बार नाता विवाह करने वाली महिला को हेय दृष्टि से देखा जाता है ।

सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ 'नाताप्रथा' का स्वरुप भी बदलता गया। अन्य प्रथाओं की तरह इस प्रथा में भी परिवर्तन होते चले गए,जिसका प्रयोग औरतों की दलाली के रूप होने लगा। यह भी देखा गया कि इसके जरिये कुछ पुरुष जबरदस्ती महिलाओं को दलालों के हाथों बेच देते है। इसके अलावा कई पुरुष इस प्रथा की आड़ में महिलाओं की अदला बदली भी कर लेते है। पहले यह प्रथा जहाँ केवल गावों में मानी जाती थी,वहीँ आज के वर्तमान युग में यह राजस्थान के कई कस्बों तक फैल चुकी है साथ ही इस प्रथा से हो रहे सामाजिक नुकसान को रोकने के लिए वर्तमान में पंचायतों के पास कोई भी आधिकारिक नियंत्रण नहीं हैं,जिससे 'नाताप्रथा' आज महिलाओं के षोशण का कारण बन गई है ।

संदर्भ –

1. रावत सारस्वत (2000 व 2001): मीणा इतिहास – राजस्थान में मीणा, भेर, मेव आदि नामों से ज्ञात मीणा जाति ऐतिहासिक इतिवृत –2 संस्करण । प्रकाशक – एस.के.शर्मा 12,192 P ।

2. मीणा यशोदा (2003):मीणा जनजाति का इतिहास,जयपुर पब्लिषिंग हाऊस 322 P

3. कपूर नन्दिनी सिन्हा (2007) : द मीनाज सीकिंग ए प्लेस इन हिस्ट्री च 129–137 ।

4. कुमारी सुनीता (2007):नाताप्रथा इन ट्राइब्स ऑफ उदयपुर,सेवा मंदिर उदयपुर इंग्लिष 55P

5. कपूर नंदिनी सिन्हा (2008): री कान्सट्रन्टिंग आइडेनटीटीज एंड सिचवेटिंग देमसेल्व्स इन हिस्ट्री ,ए नोट ऑन टाइम मीनास ऑफ जयपुर रिजन ।

6. सिंह अखिलेश कुमार (2009):अनटाइंग द नोट द टाइम्स ऑफ इंडिया ।